

Revenue Inspector Circle Seoni-2, Patwari Halka No. 01 and 02 of Revenue Inspector Circle Bandol and Patwari Halka No. 29 and 30 of Revenue Inspector Circle Bhoma, in which the Total Patwari Halkas shall be 30 and villages Shall be 75. The headquarter of the said Tehsil shall be at Seoni.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-25-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला सिंगरौली की तहसील सिंगरौली की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 01 से 20 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील सिंगरौली के पटवारी हल्का क्र. 01 से 20 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सिंगरौली नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे और 86 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बैदन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-25-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-25-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-25-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Singrauli of District Singrauli from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 20 and creates a new Tehsil Singrauli Nagar by comprising of Patwari Halka No. 01 to 20 of Tehsil Singrauli in which the total Patwari Halkas shall be 20 and villages Shall be 86. The headquarter of the said Tehsil shall be at Waidhan.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-26-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला खरगोन की तहसील खरगोन एवं तहसील गोगांव की सीमाएं, उसमें से, तहसील खरगोन के पटवारी हल्का क्र. 12, 23 एवं 40 से 49 के 36 ग्राम तथा तहसील गोगांव के पटवारी हल्का क्र. 16 एवं 25 के 05 ग्राम को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील खरगोन के पटवारी हल्का क्र. 12, 23 एवं 40 से 49 के 36 ग्राम तथा तहसील गोगांव के पटवारी हल्का क्र. 16 एवं 25 के 05 ग्राम को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खरगोन नगर का गठन करती है, जिसमें 13 पटवारी हल्के और 41 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय खरगोन में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-26-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-26-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-26-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Khargone and Tehsil Gogaon of District Khargone, from 1st January 2019, by excluding therefrom 36 Villages of Patwari Halka No. 12, 23 and 40 to 49 of Tehsil Khargone and 05 Villages of Patwari Halka No. 16 and 25 of Tehsil Gogaon and creates a new Tehsil Khargone Nagar by comprising of Patwari Halka No. 12, 23 and 40 to 49 of Tehsil Khargone and Patwari Halka No. 16 and 25 of Tehsil Gogaon in which the Total Patwari Halkas shall be 13 and villages Shall be 41. The headquarter of the said Tehsil shall be at Khargone.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.